



Neutral Citation No. – 2026:AHC:17433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 91 वर्ष 2026

राम अवतार

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद और 5 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	: शिव मूर्ति कुशवाह, विजय कुमार दीक्षित, विनय कनौजिया
प्रतिवादी के वकील	: सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टीपी गुप्ता की दलीलें सुनीं।
- यह याचिका प्रतिवादी संख्या 1/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 333 के तहत द्वितीय अपील संख्या 1682/2016 पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए परमादेश हेतु दायर की गई है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि निजी प्रतिवादी की ओर से यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मुकदमे से संबंधित दूसरी अपील 2016 से प्रतिवादी संख्या 1/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ता राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित दूसरी अपील में प्रतिवादी है। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी अपील पर अंतरिम आदेश लागू है, हालांकि दूसरी अपील अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की कार्यवाही में तेजी न आने के प्रमाण के रूप में मामले की आदेश पत्र की प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न की गई है।
- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बनाकर दायर की गई उपर्युक्त दूसरी अपील में याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बनाया गया है। यह मामला प्रतिवादी संख्या 1/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष वर्ष 2016 से लंबित है।

6. मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह उपजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 333 के तहत उपर्युक्त द्वितीय अपील संख्या 1682/2016 का निर्णय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे।

7. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

27 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"